न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 40/2024 बउनवानी ओमहरि बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी,स0मा0 पुत्र श्री किस्तूरचन्द शर्मा प्लॉट नम्बर 45, राजनगर पुलिस थाना मानटाउन स0मा0

GCMS No-2024/95

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
20.9.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 11.6.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसको लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 6(3)के तहत उपजिला निर्वाचन अधिकारी को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. रेशमा मीना द्वारा जिला परषिद पद के लिय दिये गये आवेदन की कॉपी 2. आवेदन के साथ रेशमा मीना के द्वारा अपने पहचान के संबंध में जो दस्तावेज दिये उसकी कॉपी । 3. रेशमा मीना के द्वारा दिये गये शपथ पत्र की कॉपी । 4. रेशमा मीना के द्वारा सम्पति के संबंध में दिये गये दस्तावेजो की कॉपी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.8()निर्वा./सूकाअ/2024/7530 दिनांक 12.9.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.6.2024 मे चाही गयी सूचना अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के अनुसार व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी जा सकती जिसके संबंध में अपीलान्ट को जरिये 7354 दिनांक 26.7.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि उक्त सूचना श्रीमति रेशमा मीना की व्यक्तिगत सूचना है जिसका प्रकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से संबंध नही रखता है , प्रकट नही की जाएगी तथा आपके द्वारा आवेदन मे यह स्पष्ट नही किया गया है कि यह किस प्रकार से लोक हित में है। इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.6..2024 मे चाही गयी सूचना अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के अनुसार व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी जा सकती है, जिसके संबंध में अपीलान्ट को जरिये 7354 दिनांक 26.7.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (डॉ0खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:46:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner